न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 187/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. इन्द्रसिंह पुत्र पूनमचन्द घांची 2. संतोष पत्नी इन्द्रसिंह घाची निवासी– कबूतरों का चौक तहसील–जोधपुर।		1. जगदीश पुत्र अन्नाराम माली 2. छोटाराम पुत्र अन्नाराम माली निवासी–ग्राम सालावास, तहसील लूणी 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लूणी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.03.2021 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, लूणी में पारित प्रकरण संख्या 33/2021 अनवान जगदीश बनाम इन्द्रसिंह में पारित किया गया।

उपस्थितिः--

1– श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री हनुमान प्रजापति, अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पो0 1,2 की ओर से ।
3– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 12 अगस्त, 2022

उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2021 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं

अपीलान्ट की प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि रेस्पोन्डेन्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 131 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हमारे खातेदारी के ग्राम सालावास के खेत खसरा नंबर 50/1 रकबा 18 बीघा आई हुई है जो पूर्व में कुल 20 बीघा भूमि थी। उसमें से 15 बिस्वा भूमि अपीलान्ट संख्या 01 को व 1.05 बीघा भूमि अपीलान्ट संख्या 2 को रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के जरिये दिनांक 24.12.2007 को विक्रय कर दी। जिसके आधार पर नामा0 संख्या 21213 स्वीकृत हुआ एवं उसी अनुसार राजस्व जमाबन्दी में खातेदारी में दर्ज की गई। नामा0 दर्ज करते समय पटवारी हल्का द्वारा नामा0 के पृष्ठ भाग पर ख0सं0 50/2का नक्शा बनाकर अपीलान्ट को बेचान की गई भूमि नहीं दर्शाई।

उक्त प्रकार की तरमीम नक्शा ट्रेस में नहीं होने की जानकारी मिलने पर अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र के जरिये तहसीलदार लूणी के समक्ष प्रार्थना की। जिस पर तहसीलदार द्वारा रजिस्टर्ड बेचान अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश पटवारी हल्का को दिया। पटवारी हल्का के द्वारा 13.9.2019 को उक्तानुसार तरमीम कर दी गई।

तहसीलदार लूणी के उक्त तरमीम ओदश के विरूद्ध रेस्पो0 जगदीश के द्वारा अपर जिला कलेक्टर प्रथम, जोधपुर के समक्ष दिनांक 17.9.19 को प्रथम अपील पेश की। जो दिनांक 10.12.19 को खारिज कर दी गई। अपर जिला कलेक्टर प्रथम, जोधपुर के

उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 246/2019 पेश की गई। वह द्वितीय अपील भी दिनांक 11.3.2020 को खारिज कर दी गई। जिसके पश्चात रेस्पो0 जगदीश के द्वारा माननीय राजस्व मंण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा 22.01.2021 के द्वारा बेचान दस्तावेजों के आधार पर की गई तरमीम में कोई त्रुटि नहीं होने से निगरानी खारिज कर दी गई।

तत्पश्चात उक्त नक्शा तरमीम अनुसार ख0सं0 50/5 व 50/6 के चारो ओर पक्की दीवार बनाने के लिये सीमा ज्ञान कराने हेतु तहसीलदार लूणी के समक्ष आवेदन किया। तहसीलदार लूणी ने दिनांक 13.3.20 को आदेश पारित कर सीमांकन करने हेतु निर्देशित किया लेकिन माननीय राजस्व मण्डल से स्थगन होने पर तत्समय में पालना नहीं हो सकी। तहसीलदार लूणी ने दिनांक 5.2.2021 को पुनः सीमांकन करने हेतु टीम गठित की तो रेस्पो0 ने मौके पर विवाद किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, लूणी की ओर से पुलिस इमदाद हेतु उपायुक्त पुलिस मुख्यालय को लिखा गया।

रेस्पोडेन्टस ने दिनांक 26.2.21 को उपखण्ड अधिकारी, लूणी के समक्ष धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम कें तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ख0सं0 50/2 में से ख0सं0 50/5 व 50/6 की गलत तरमीम हटा कर नजरी नक्शे अनुसार तरमीम करने का निवेदन किया जिस पर दिनांक 26.2.21 को ही उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के द्वारा स्थगन को जारी किया गया। जिसके कारण सीमांकन नहीं हो सका। उक्त प्रकरण की जानकारी होने से अपीलान्ट ने अपना विस्तृत जवाब पेश किया। उसके उपरान्त भी उपखण्ड अधिकारी लूणी ने बहस सुनकर पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थीगण द कब्जा नहीं होने से तथा बिना तरमीमशुदा नक्शा ट्रेस का अवलोकन किये ही मौके पर तरमीम के लिये कब्जा होना आदश्यक मानते हुए रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व नक्शे में हुई तरमीम को निरस्त कर राजस्व नक्शें में पहले अनुसार ख0सं0 50/2 रकबा 20 बीघा की तरमीम करने तथा उसके पश्चात विक्रय विलेख में अंकित पडौस अनुसार ख0सं0 50/5 व 50/6 की तरमीम किये जाने बाबत अपने आदेश दिनांक 31.3.2021 के द्वारा निर्देश तहसीलदार लूणी को दिये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की गई है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पूर्व में राजस्व नक्शें में की गई तरमीम को मात्र कब्जा नहीं होने के आधार पर रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया। जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता हैं। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने प्रस्तुत किये गये जवाब में पूर्व में घटित घटनाक्रम में रेस्पो0 के द्वारा तहसीलदार, लूणी, अपर जिला कलेक्टर, प्रथम, जोधपुर, अति0संभागीय आयुक्त, राजस्व मण्डल, अजमेर के न्यायालयों तक चाराजोही कर चुका था, जिसमें उसे किसी प्रकार से कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ। एवं प्रार्थना पत्र की पोषणीयता बाबत आपत्ति की गई थी। इन तथ्यों को दरकिनार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्टस के द्वारा ही अपीलान्टस को 02 बीघा भूमि का जरिये पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज के माध्यम से बेचान करना स्वीकार किया है तथा रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज में बेचान की गई भूमि का कब्जा सुपुर्द करना स्वीकार किया है। ऐसे में उसके विपरित जाकर बिना किसी आधार के पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार कब्जा नहीं मानने में विधिक त्रुटि की गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में न्यायिक अधिकारिता का उपयोग नहीं किया है। उक्त आदेश कायम रहने से अपीलान्टस को अपूर्णनीय क्षति होगी। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा फॉर्म 03 के साथ अति0 जिला कलेक्टर (प्रथम), जोधपुर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 12/2021(2021/13) अनवान जगदीश बनाम इन्द्रसिंह वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2021 की प्रति प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पर्व में राजस्व न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अति0 जिला कलेक्टर (प्रथम), जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 22.04.2021 में यह अंकित किया है कि "माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत निगरानी में 22.01.2021 में निगरानी सारहीन व बलहीन होने से खारिज की गई। तरमीम आदेश राजस्व मण्डल अजमेर तक विधिसम्मत माना जा चुका है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।"

ऐसे में जब वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में ज़ब तहसीलदार लूणी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.2.2021 के विरूद्ध यह अपील खारिज कर दी गई और तरमीम को सही माना है। तो अधिनस्थ न्यायालय को इन सब न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों को नहीं मानकर पुनः अलग से अपीलाधीन आदेश पारित करने का कोई औचित्य ही नहीं था। अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से वादग्रस्त भूमि बाबत पुनः विवाद उत्पन्न हो गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार एवं माननीय राजस्व न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2021 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर मे रेस्पो0 संख्या एक व दो की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि प्रकरण से सम्बन्धित पूर्व में जो प्रकरण न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत हुए थे वो धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तइत तहसीलदार लूणी के आदेश दिनांक 3.9.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत हुए थे न कि तरमीम आदेशों को लेकर। तहसीलदार का आदेश सही है। जब हमने बेचान किया जब विवाद हुआ तो प्रार्थनापत्र बाबत जिला कलेक्टर महोदय को लिखा गया, जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जॉच हेतु तहसीलदार को प्रेषित किया। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार मौके पर कब्जा नहीं बताया एवं तरमीम पर विवाद की सम्भावना बताई फिर भी तहसीलदार लूणी के आदेश दिनांक 3.9.2019 ने संलग्न दस्तावेज अनुसार तरमीम कर पालना प्रेषित करने का लिखा गया। मुझ रेस्पोडेन्टस के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में तरमीम को सही नहीं होने बाबत बिन्दू को ही चुनौती दी थी। इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार बेचान पश्चात वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्टस का कोई कब्जा नहीं पाया गया, क्योंकि 30 फुट की

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

तरमीम कर दी गई, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार साबित होता हैं। तरमीम
भू०अ०निरीक्षक द्वारा प्रमाणित की गई थी। बेचान हेतु सम्पादित मूल इकरारनामा में यह
तथी भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त बेचान 100 फुट चौडाई रोड पर किया गया
हो। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया गया है वो गलत नहीं
होने से बहाल रखे जाने योग्य है। श्रीमती संतोष को बेचान रोड पर नहीं जबकि तरमीम
रोड पर कर दी। तरमीम गलत कर दी जाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

रेस्पो०सं० एक व दो के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो० संख्या 2
छोटूराम के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। रेस्पो० के
द्वारा अपीलान्टस को मुख्य सालावास रोड पर 25 फुट चौडाई एवं शेष लम्बाई की कुल
02 बीघा भूमि का बेचान किया था किन्तु अपीलान्टस के द्वारा गलत तरीके से राजस्व
कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर मुख्य सालावास रोड पर 100 फुट चौडाई दर्शाते हुए शेष
लम्बाई दर्शाते हुए तहसीलदार लूणी से आदेश प्राप्त कर राजस्व रेकर्ड में उक्ता तरमीम
दर्ज करवा ली गई जो अशुद्ध होने के कारण उसे निरस्त करवाया जाना आवश्यक था।
हमने बेचान 30 फीट रोड पर की। तरमीम 100 फीट रोड पर करवा दी गई, जो गलत
की गई। इस बाबत रिपोर्ट पत्रावली में लगी हुई है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा
उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नियमों के तहत ही अपीलाधीन आदेश के
जरिये वादग्रस्त भूमि के बेचान से पूर्व के मूल काश्तकार के पक्ष में राजस्व नक्शें में
तरमीम पूर्ण करते हुए शेष भूमि की तरमीम करने के आदेश पारित किये गये है वो विधि
अनुकूल एवं उचित प्रतीत होते है जिसे बहाल रखा जावें।

रेस्पो० संख्या 4 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय
द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.03.2021 के सम्बन्ध में कथन किया
कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो० का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व
नक्शे में पहले नियमानुसार ख०सं० 50/2 रकबा 20 बीघा की तरमीम करने तत्पश्चात
विक्रय विलेख में अंकित पडोस अनुसार जॉच कर ख०सं० 50/5 व 50/6 की तरमीम
किये जाने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के
अधिवक्ता के द्वारा अति० जिला कलेक्टर (प्रथम), जोधपुर के द्वारा राजस्व अपील संख्या
12/2021(2021/13) अनवान जगदीश बनाम इन्द्रसिंह वगैराह में पारित निर्णय दिनांक
22.04.2021 की प्रति प्रस्तुत की गई है वो उल्लेखित प्रकरण में चस्पा नहीं होती है क्यों
कि अपीलान्ट के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, लूणी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.21
के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है न कि अति० जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश
के विरूद्ध। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जावे
एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2021 को यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय
की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन
एवं अध्ययन किया। ग्राम सालावास की उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में विभिन्न
राजस्व न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन किया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

तहसीलदार, लूणी के आदेश कमांक 2453 दिनांक 03.09.2019 के द्वारा ग्राम सालावास के ख0सं0 50/5 व 50/6 की तरमीम करने बाबत दिये गये आदेश के विरूद्ध अति0 जिला कलेक्टर (प्रथम), जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत हुई राजस्व अपील संख्या 84/2019 जगदीश बनाम श्रीमती संतोष वगैराह में पारित आदेश दिनांक 10.12.2019 में अंकित किया गया है कि :-

"अपीलार्थी जगदीश व रेस्पो0 संख्या 4 छोटाराम द्वारा जरिये दो रजिस्टर्ड विकय विलेख ग्राम सालावास के ख0सं0 50/5 रकबा 1.05 बीघा व ख0सं0 50/6 रकबा 0.15 बीघा कुल 02 बीघा भूमि का बेचान इन्द्रसिंह पुत्र पूनमचन्द तथा सन्तोष पत्नी इन्द्रसिंह को किया, उसमें अंकित विवरण पश्चिम दिशा का पडौस बोरानाडा-सालावास रोड है तथा भौतिक कब्जा रूबरू मौतबिरान के मौके पर वास्तविक रूप से करवा दिया तथा केता उक्त भूमि को अपनी सुविधानुसार नक्शा बना सकेगे, निर्माण करवा सकेंगे, बेचान कर सकेंगें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा तहसीलदार लूणी का आदेश दिनांक 03.09.2019 यथावत रखा जाता है।"

अति0 जिला कलेक्टर (प्रथम), जोधपुर के उक्त आदेश दिनांक 10.12.2019 की अपील में अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर (न्यायालय हाजा) के द्वारा राजस्व अपील संख्या 246/2019 जगदीश बनाम श्रीमती संतोष वगैराह में पारित आदेश दिनांक 11.03.2020 में अंकित किया गया है कि :-

"अपीलान्ट जगदीश के द्वारा श्रीमती संतोष के पक्ष में निष्पादित बेचाननामें में दर्शाये गये पडौस में पश्चिम में बोरानाडा-सालावास मेन रोड का उल्लेख है।, इसी प्रकार अन्य बेचाननामे में पश्चिम दिशा में, इसी खसरे में से श्रीमती संतोष को बेचान की गई भूमि दर्शाया हुआ है अर्थात दोनों बेचाननामों की खरीदशुदा कुल 02 बीघा भूमि मेन सालावास- बोरानाडा रोड पर होना जाहिर है इसलिये अधिनस्थ दोनों ही न्यायालय तहसीलदार लूणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.9.2019 व अति0 जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2019 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं हैं अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा दोनों आदेश कमशः दिनांक 3.9.2019 व दिनांक 10.1.2019 यथावत रखे जाते है।"

न्यायालय हाजा के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में हुई निगरानी संख्या एलआर/2395/2020/जोधपुर अनवान जगदीश बनाम संतोष वगैराह में पारित निर्णय में अंकित किया गया है कि :-

"उक्त बेचान की ताईद में अप्रार्थीगण के नाम जमाबन्दी सम्वत 2073-76 में खातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। तथा ख0सं0 50/5 व 50/6 दर्शाये गये है तथा पत्रावली में संलग्न नक्शों के अनुसार अप्रार्थीगण को विवादित आराजी ... सड़क होना दर्शाया है। पत्रावली में

अति0 सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

ख0स0 30/6 मेन रोड पर तथा ख0सं0 50/5 को ख0सं0 50/6 की पीछे की ओर से दर्शाया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त खातेदारी में खातेदारों के अपने हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन करवाया जाना अपेक्षित हाता है परन्तु इस प्रकरण में समस्त सहखातेदारों ने अपने खातेदारी भूमि के विशिष्ट हिस्से का बेचान है अतः बेचान दस्तावेज अनुसार की गई तरमीम में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है, हरतगत निगरानी सारहीन व बलहीन होने से निरस्त करने योग्य है तथा निगरानी खारिज कीं जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर का आदेश दिनांक 11.3.20 यथवत रखा जाता है।"

अति0 जिला कलेक्टर (प्रथम), जोधपुर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 12/2021 (2021/13) अनवान जगदीश बनाम इन्द्रसिंह वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2021 का अवलोकन किया गया जिसमें वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में राजस्व न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अति0 जिला कलेक्टर (प्रथम), जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 22.04.2021 में यह अंकित किया है कि अपीलान्ट ने दिनांक 17.09.2019 को तहसीलदार लूणी के नक्शा ट्रेस में तरमीम करने बाबत् आदेश की न्यायालय के समक्ष अपील पेश की। न्यायालय द्वारा अपील सख्या 84/2019 अनवान जगदीश बनाम श्रीमती संतोष व अन्य आदेश दिनांक 10.12.2019 को अपील सारहीन मानकर खारिज कर दिया। अपीलान्ट ने न्यायालय के आदेश दिनांक 10.12.2019 के विरूद्ध माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में द्वितीय अपील संख्या 246/2019 पेश की। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 11.03.2020 के द्वारा तहसीलदार लूणी एवं न्यायालय के आदेश विधि सम्मत होने से किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं मानकर खारिज कर दी गई। अपीलान्ट ने माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय दिनांक 11.03.2020 के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी पेश की। "माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत निगरानी में 22.01.2021 में निगरानी सारहीन व बलहीन होने से खारिज की गई। तरमीम आदेश राजस्व मण्डल अजमेर तक विधिसम्मत माना जा चुका है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।"

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय हाजा के समक्ष हुए अपीलाधीन आदेश जो उपखण्ड अधिकारी लूणी के दिनांक 31.03.2021 को पारित किया है, का भी अवलोकन किया गया जिसमें अन्तिम पैरा में यह अंकित किया गया है कि

" तमाम परिस्थितियों में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है, राजस्व नक्शें में ख0सं0 50/5 व 50/6 की तरमीम निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व नक्शें में पहले नियमानुसार ख0सं0 50/2 रकबा 20 बीघा की

तरमीम करें तत्पश्चात विक्रय विलेख में अंकित पड़ौस अनुसार जॉच कर ख0सं0 50/5 व 50/6 की तरमीम करें।"

उपरोक्त समस्त निर्णयों व पत्रावली में उपलबद्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जिसमें यह पाया है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो उच्चतर राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों को दरकिनार करते हुए पारित किया जाना पाया जाता है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर, न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा ग्राम सालावास के खसरा नं. 50/5 व 50/6 की पूर्व में की गई तरमीम को विधि सम्मत माना था त था वर्ष 2019 में की गई तरमीम को चुनोति देने वाली अपील/निगरानी को तीनो उच्चतर राजस्व न्यायालयो द्वारा खारिज किया गया। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा ग्राम सालावास के खसरा नं. 50/5 व 50/6 के बारे में तरमीम संबधी पुनः पारित आदेश दिनांक 31–3–2021 स्थापित न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध है तथा विधिसम्मत नही है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में न्यायालय की ओर से की गई विवेचना में उच्चतर न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही उनकी वैधता बाबत कोई टिप्पणी की गई है। इन आधारों पर भी अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण उपरान्त हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि के अनुरूप पारित किया नहीं जाना प्रतीत नहीं होता है। जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं होगा।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.3.2021 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 22 अगस्त, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर